

उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 29.10.22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 29.11.22 को पेश हो।

रीडर


उपखण्ड अधिकारी माण्डल

पत्रावली चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत कैंम्प मांडल  
मे पेश हुई, वकील सार्थिय उपस्थित, अप्रार्थीगिण



हुकम या कार्यवाही मय इन्डियायल्स जज

के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे  
शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थिया का  
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पुपक  
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।  
पत्रावली फैसल सुमार होकर अम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गाण्डूल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

ख्या- 158/22 प्रा0पत्र

भती लहरीा 100 श्री लखमणदास लीबणी निवासी- जालरिया तहसील-गाण्डूल

-प्रार्थी

बनाम

मोहनदास 100 श्री लोकादास लीबणी निवासी- जालरिया तहसील-गाण्डूल  
श्री पारसीदेवी 100 श्री उखुदास लीबणी निवासी- जालरिया तहसील-गाण्डूल  
इरकादास 100 श्री किशनदास लीबणी निवासी- जालरिया तहसील-गाण्डूल  
तहसील बाण्डा जालरिया तहसीलदार 2110 गाण्डूल तहसील-गाण्डूल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 12.11.22


::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन  
ग्राम जालरिया पटवार हल्का 101-फारा तहसील गाण्डूल में उसके  
खाते की आराजी नं. 707/396 कुल कित्ता 01 रकबा 0.6500  
थत हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह- नहीं होने से आये  
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की  
के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.06.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
प्रार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का  
है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते  
क की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर जालरिया पटवार  
101 तहसील गाण्डूल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 707/396  
नं. 01 रकबा 0.6500 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी  
ने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख  
भगवानपुरा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने  
प्रान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार  
पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
गाण्डूल मण्डल भीलवाड़ा

तहसीलदार गाण्डूल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार  
की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी